



142



समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-1969-I-16

रा.प्र.क्र. सन् 2016

आवेदक - रामेश्वर प्रसाद पिता छोटेलाल कोल निवासी ग्राम
पिपरिया (बनियाखेडा) पोस्ट खजरी तहसील पनागर
जिला जबलपुर

विरुद्ध

श्री. राजेश्वर प्रसाद द्वारा आज दि. 21.6.16 को
प्रस्तुत
म.प्र. ग्वालियर
21/6/16

- 1- रामशंकर पटेल आत्मज रघुवीर प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम खिरियाकला पोस्ट खजरी तहसील
पनागर जिला जबलपुर
- 2- मध्य प्रदेश शासन

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र.
254/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 03-08-2015 एवं एडीशनल
कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक
521/अ-21/15-16 से परिवेदित होकर आवेदक निम्नलिखित तथ्य एवं
आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

तथ्य

- 1- यह कि आवेदक के नाम मौजा पिपरिया (बनियाखेडा), प.ह.न. 24/81,
रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर में खसरा नं. 32, 41, 112, 128,
142 रकवा क्रमशः 0.220 हे., 0.110 हे., 0.100 हे., 0.890 हे., 0.190 हे.
कुल 1.510 हेक्टेयर मौजा पडवार खुर्द प.ह.न. 22/75, रा.नि.म.
महाराजपुर तहसील पनागर में खसरा नं. 98/2 रकवा 0.980 हे. मौजा
रहटा प.ह.न. 2/3 रा.नि.म. इमलई तहसील कुण्डम में ख.न. 15 रकवा
1.000 हे. कुल 3.490 हे. कृषि भूमि है जिसका वह मालिक काबिज है।

R. Chandra
Advocate

R
1/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1969/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-6-16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 254/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 03.08.15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम पिपरिया (बनियाखेडा) प. ह.न.24/81 रा.नि.म. महाराजपुर, तहसील पनागर तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं.32, 41, 112,128, 142 रकवा क्रमशः 0.220, 0.110, 0.100, 0.890. 0.190 हैक्टेयर कुल 1.510 हैक्टेयर मौजा पडवार खुर्द प.ह.नं.22/75 रा.नि.म. महाराजपुर, तहसील पनागर में स्थित खसरा नं.98/2 रकवा 0.980 है0, मौजा रहटा, प.ह.नं.2/3 रा.नि.म. इमलई, तहसील कुण्डम में खसरा नं. 15 रकवा 1.000 है0 कुल 3.490 हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिसका मालिक एवं काबिज है तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है। जिसमें से भूमि खसरा क्रमांक 98/2 रकवा 0.980 है0, अनावेदक क्रमांक 1 रामशंकर को विक्रय करना चाहता है। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 2.51 है0 भूमि शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 254/अ-21/2013-14 पंजीबद्ध</p>	

R. 15/16

कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 03.08.2015 पारित कर आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र इस आधार पर अमान्य कर दिया है कि भूमि की कीमत अत्यन्त कम प्राप्त हो रही है, जिससे आदिम जनजाति के सदस्य के हितों का हनन होगा। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 03.08.2015 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पद सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र बिना किसी कारण के अस्वीकार कर दिया है, अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

5- उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, इस कारण आदेश दिनांक 03.08.2015 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष

B
me

me

कास्तकारी भूमि जोकि तीन ग्रामों में होने से विधिवत कास्तकारी नहीं कर पाता है, जिससे कृषि भूमि से कोई आय प्राप्त नहीं होती है, ऐसी स्थिति में कुछ भूमि का विक्रय करना चाहता है। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 2.51 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम




जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 254/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को मौजा पडवार खुर्द प.ह.नं. 22/75 (सूरतलाई) रा.नि.म. महाराजपुर, तहसील पनागर तहसील व जिला जबलपुर भूमि खसरा नं.98/2 रकबा 0.980 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

R
गल


सदस्य